निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 52/2025 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये विमला मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स कृष्णा मिष्ठान भण्डार बैनाडा मोड आगरा रोड तहसील बस्सी जरिये श्री लेखराज पुत्र श्री फैलीराम, निवासी बैनाडा, आगरा रोड, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय एल.पी. जी. 0.700 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.04.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 24.10.2024 को मैसर्स कृष्णा मिष्ठान भण्डार, बैनाडा मोड, आगरा रोड, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. क्षमता 14.200 किलोग्राम पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स को व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी. जी. को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 05.11.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी दिनांक 09.12.2024 को स्वयं उपस्थित हुआ किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स कृष्णा मिष्ठान भण्डार, बैनाडा मोड, आगरा रोड, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. क्षमता 0.700 किलोग्राम पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से नमकीन, मिठाईयां,

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

चाय–नाश्ता इत्यादि बनाकर ग्राहको को वाणिज्यिक तौर पर लाभ हेतु विक्रय किया जाकर व्यवसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। मौके पर मैसर्स गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर में 0.700 किलोग्राम एल.पी.जी. पायी गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.10.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 02 आईओसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से नमकीन, मिठाईयां, चाय–नाश्ता इत्यादि बनाकर ग्राहको को वाणिज्यिक तौर पर लाभ हेतु विक्रय किया जाकर व्यवासायिक उपयोग में लिया जा रहा था। घरेलू एल॰पी॰जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावासायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आईओसीएल मय एल.पी.जी. 0.700 किलोग्राम को राजसात **(Confiscate)** किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 05.11.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner